सेशन प्रकरण संख्याः– 21/2026 (पुराने नंबर 98/2024)
राज्य बनाम रमेश कुमार
दिनांकः– 29.04.2026

न्यायालयः विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण, बालोतरा) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी	नीरज भामू
नियमित फौजदारी सी.आई.एस. नंबर	122/2026
नंबरी फौजदारी प्रकरण	सेशन प्रकरण संख्याः– 21/2026 (पुराने नंबर 98/2024)
सी.एन.आर. नंबर	RJBA010003912026
एफ.आई.आर. संख्या व पुलिस थाना	258/24.09.2024 पुलिस थाना, धोरीमन्ना

<u>राजस्थान राज्य बनाम रमेश कुमार</u>

<u>अपराध अंतर्गत धारा 140(3), 127(2), 64(1), 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 3(1)(w)(ii), 3(2)(v), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट</u>

परिवादी का नाम	'X'
अधिवक्ता परिवादी/लोक अभियोजक	श्री माधोसिंह चारण, अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त का नाम व विवरण	रमेश कुमार पुत्र मदनलाल, उम्र 23 साल, निवासी धोरीमन्ना, पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला बालोतरा।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री कौशल पंवार
एफआईआर की दिनांक	24.09.2024
चालान पेश करने की दिनांक	06.12.2024
आरोप लगाने की दिनांक	21.01.2025
अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ व समाप्ति की दिनांक	04.02.2025 से 27.10.2025
बचाव साक्ष्य प्रारंभ व समाप्ति की दिनांक	15.01.2026
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया हो	29.04.2026
निर्णय दिनांक	29.04.2026
सजा आदेश देने की दिनांक, यदि हो तो	29.04.2026

<u>अभियोजन व बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची</u>

अ. अभियोजन पक्ष के साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का आधार प्रत्यक्षदर्शी सीाक्ष, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण
पी.ड. 01	जगाराम	फर्द गिरफ्तारी मौतबीर
पी.ड. 02	दिनेश कुमार	फर्द गिरफ्तारी व नक्शा मौका मौतबीर

सेशन प्रकरण संख्याः– 21/2026 (पुराने नंबर 98/2024)
राज्य बनाम रमेश कुमार
दिनांकः– 29.04.2026

पी.ड. 03	आलमचंद	सीसीटीवी फुटेज पेशकर्ता
पी.ड. 04	मांगीलाल	रिपोर्ट पेशकर्ता व नक्शा मौका मौतबीर
पी.ड. 05	मनोहर	नक्शा मौका मौतबीर
पी.ड. 06	जितेन्द्र	नक्शा मौका मौतबीर
पी.ड. 07	'X'	पीडिता/परिवादीया
पी.ड. 08	रामाराम	वजह सबूत एफएसएल पेशकर्ता
पी.ड. 09	कानाराम	मालखाना इंचार्ज
पी.ड. 10	मोहनलाल	सीडीआर विश्लेषणकर्ता
पी.ड. 11	डॉ. अर्पिता चौहान	चिकित्सकीय साक्षी
पी.ड. 12	डॉ. लोकेश गीगल	चिकित्सकीय साक्षी
पी.ड. 13	शेराराम	फर्द मौका तस्दीक मौतबीर
पी.ड. 14	डॉ. मुकेश कुमार यादव	चिकित्सकीय साक्षी
पी.ड. 15	सुखाराम	अनुसंधान अधिकारी

ब. बचाव पक्ष के साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का आधार प्रत्यक्षदर्शी सीक्ष, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण**
निल	निल	निल

<u>अभियोजन व बचाव पक्ष के दस्तावेती साक्ष्य की सूची</u>

अ. अभियोजन पक्ष के दस्तावेजी साक्ष्य

क्रमांक	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी. 01	फर्द सीसीटीवी फुटेज
2.	प्रदर्श पी. 02	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रमेश कुमार
3.	प्रदर्श पी. 03	फर्द मौका तस्दीक बलात्कार का स्थान
4.	प्रदर्श पी. 04	फर्द मौका तस्दीक परिवादीया को बैठाकर रखने का स्थान
5.	प्रदर्श पी. 05	फर्द विश्लेषण सीडीआर
6.	प्रदर्श पी. 06	धारा 65 सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र
7.	प्रदर्श पी. 07	पर्चान बयान 'X'
8.	प्रदर्श पी. 08	प्रथम नक्शा मौका व हालात मौका
9.	प्रदर्श पी. 09	द्वितीय नक्शा मौका व हालात मौका
10.	प्रदर्श पी. 10	फर्द पेशकर्ता मोबाईल फोन पीडिता द्वारा

11.	प्रदर्श पी. 11	धारा 164 सीआरपीसी के बयान
12.	प्रदर्श पी. 12	पीडिता के मेडिकल परीक्षण बाबत् फर्द
13.	प्रदर्श पी. 13 ए	पीडिता के जाति प्रमाण–पत्र की प्रति
14.	प्रदर्श पी. 14	रोड़ सर्टिफिकेट
15.	प्रदर्श पी. 15	पीएस धोरीमन्ना का अग्रेषण–पत्र
16.	प्रदर्श पी. 16	एसपी ऑफिस का अग्रेषण–पत्र
17.	प्रदर्श पी. 17	एफएसएल की प्राप्ति रसीद
18.	प्रदर्श पी. 18 ए लगायत 20 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रतियाँ
19.	प्रदर्श पी. 21	पीडिता 'X' का चोट प्रतिवेदन
20.	प्रदर्श पी. 22	अभियुक्त रमेश का मेडिकल मुआयना बाबत् तहरीर
21.	प्रदर्श पी. 23	अभियुक्त रमेश कुमार की मेडिकल रिपोर्ट
22.	प्रदर्श पी. 24	पर्चा एफआईआर
23.	प्रदर्श पी. 25	183 बीएनएसएस के बयान की प्रति प्राप्त करने बाबत् पत्र
24.	प्रदर्श पी. 26	पीडिता की डीएनए जाँच हेतु जारी तहरीर
25.	प्रदर्श पी. 27	पीडिता का मेडिकल मुआयना बाबत् जारी तहरीर
26.	प्रदर्श पी. 28	धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना
27.	प्रदर्श पी. 29	धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत् पत्र
28.	प्रदर्श पी. 30	सीडीआर
29.	प्रदर्श पी. 31 लगायत 33	मोबाईल नंबर 6367036546 की कैफ रिपोर्ट
30.	प्रदर्श पी. 34	एफएसएल रिपोर्ट
31.	प्रदर्श पी. 35	सीलचेपा

ब. बचाव पक्ष की दस्तावेजी साक्ष्य

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श डी. 01	पुलिस बयान गवाह 'X'

निर्णय

दिनांकः– 29.04.2026

1. थानाधिकारी पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला बालोतरा की ओर से अभियुक्त रमेश कुमार के विरुद्ध धारा 140(3), 127(2), 64(1), 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व

3(1)(w)(ii), 3(2)(v), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट के अपराध का आरोप–पत्र श्रीमान विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया । जहाँ से श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर के आदेश क्रमांक 1413 दिनांक 18.02.2026 की पालना में प्रकरण अंतरित होकर दिनांक 09.03.2026 को इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया ।

2. अभियोजन कहानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादीया 'X' ने पुलिस थाना, धोरीमन्ना के समक्ष उपस्थित होकर एक पर्चा बयान इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पास एक मोबाईल फोन है, जिसकी सिम रमेश ने दिनांक 23.09.2024 से करीबन एक माह पूर्व लाकर उसे दी थी और उसके बाद से रमेश से उसकी लगातार बातचीत होती रहती थी । दिनांक 23.09.2026 को दिन के करीबन एक बजे वह पानीपुड़ी खाने के लिए होली चौकी गई, जहाँ पर उसे रमेश खड़ा मिला, जिसने उसे बुलाया और पानी में कुछ पिलाया और उसके सिर के बाल पकड़ कर दीवार से माथा भचीड़ा और अपने साथ लेकर गया, जहाँ पर बबूल की झाडियाँ थी और उसके साथ थापा–मुक्की की, बाल होली चौकी में पकड़े थे, उसके बाद कोई गलत काम नहीं किया । उसे धक्का देकर रमेश कुमार चला गया, वापस नहीं आया । रमेश कुमार ने जबरदस्ती उसके साथ खोटा काम किया । वे करीबन आधा घंटे तक उस कमरे में रुके । रमेश कुमार अकेले में उसके साथ खोटा काम करके बाद में उसे एक दीवार पर छोड़कर धक्का देकर चला गया..........इत्यादि । उक्त पर्चा बयान पर पुलिस थाना, धोरीमन्ना में प्रकरण संख्या 258/2024 अंतर्गत धारा 127(3), 140(3), 64(1), 115(2) बीएनएस व 3(1)(r)(s), 3(2)(v), 3(2)(va) एससी/एसटी में पंजीबद्ध किया गया । दौराने अनुसंधान अभियुक्त रमेश कुमार को गिरफ्तार कर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त रमेश कुमार के विरुद्ध अंतर्गत धारा 140(3), 127(2), 64(1), 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 3(1)(w)(ii), 3(2)(v), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त रमेश कुमार को धारा 140(3), 127(2), 64(1), 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 3(1)(w)(ii), 3(2)(v), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने उक्त आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही ।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का संक्षिप्त में सार निम्नानुसार है:–

5. गवाह पी.ड. 01 जगाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 26.09.2024 को डीवाईएसी सुखाराम ने उसके व दिनेश के रूबरू घटनास्थल होली चौक के पास मकान के लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज लिये, जिसकी फर्द प्रदर्श पी. 01 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । उसी रोज उनके रूबरू अभियुक्त रमेश को जरिये फर्द प्रदर्श पी. 02 के गिरफ्तार किया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसकी उपस्थिति में किसी भी पुलिस स्टाफ ने नहीं बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाला लड़का रमेश पुत्र मदनलाल हो, अजखुद कहा कि पीडिता ने बताया था । इस सुझाव को सही बताया कि सीसीटीवी फुटेज आलमजी नाम के व्यक्ति के घर में सीसीटीवी फुटेज देखे थे और उसकी उपस्थिति में देखे थे । घटनास्थल से थाने गये और थाने से ही मुलजिम को गिरफ्तार किया था ।

6. गवाह पी.ड. 02 दिनेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 26.09.2024 को डीवाईएसी सुखाराम ने उसके व जगाराम के रूबरू घटनास्थल होली चौक के पास मकान के लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज लिये, जिसकी फर्द प्रदर्श पी. 01 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । उसी रोज उनके रूबरू अभियुक्त रमेश को जरिये फर्द प्रदर्श पी. 02 के गिरफ्तार किया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । दिनांक 27.09.2024 को सुखाराम द्वारा फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी. 03 मुर्तिब की, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । मुलजिम की निशांदेही से पीडिता को बैठाकर रखने के स्थान का मौका देखा, जिसकी फर्द प्रदर्श पी. 04 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । दिनांक 09.10.2024 को पीडिता के मोबाईल नंबर 7665436265 की फर्द विश्लेषण सीडीआर मुर्तिब की, जो प्रदर्श पी. 05 है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने कथन किया कि दिनांक 26.09.2024 को फुटेज देखे थे, उस वक्त फुटेज में दिखने वाला लड़का रमेश हो, यह उसने व्यक्तिगत रूप में नहीं पहचाना था और न ही किसी पुलिस स्टाफ ने पहचाना था कि फुटेज में दिखने वाला लड़का रमेश है, अजखुद कहा कि पीडिता ने पहचाना था । इस सुझाव को सही बताया कि घटनास्थल के पास चारों तरफ बबूल की झाडियाँ आई हुई है । इस सुझाव को सही बताया कि सामान्यतः बबूल की झाडियों में कोई व्यक्ति उठ–बैठ

नहीं सकता, अजखुद कहा कि वहाँ पर एक कमरा भी बना हुआ था । इस सुझाव को सही बताया कि परिवादीया के मोबाईल नंबर 7665436265 में दिनांक 20.07.2024 से 23.09.2024 तक चालू रहना पाया गया है ।

7. गवाह पी.ड. 03 आलमचंद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से करीबन आठ–नौ महीने पहले पुलिस ने उसके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज लिये थे, जिसकी फर्द प्रदर्श पी. 01 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है । उसके द्वारा सीसीटीवी फुटेज जैसे थे उसी हालत में पुलिस को उपलब्ध करवाये थे, जिसका 63 सी प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी. 06 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने कथन किया कि सीसीटीवी फुटेज जो उसने उपलब्ध कराये थे, उसके सीसीटीवी फुटेज उसे पुलिस न दिखाये थे, उसमें दिखने वाले लड़का–लड़की कौन थे, वह नहीं पहचानता, वह तो उस समय दुकान पर था ।

8. गवाह पी.ड. 04 मांगीलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके लड़कों का नाम विक्रम और मनोज है तथा लड़कियों के नाम हीना व 'X' है। 'X' पांचवी तक धोरीमन्ना में पढ़ी हुई है। दिनांक 23.09.2024 को दिन में उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। वह भी बाहर था। 'X' घर पर थी। दिन के डेढ बजे उसकी पत्नी घर पर गई तो 'X' घर पर नहीं थी। उसके भाणेज जितेन्द्र उसके घर पर आया हुआ था। उसने उसे फोन कर बताया कि 'X' पकोड़ी पानी पूरी खाने गई है और अब तक घर पर नहीं आयी है। फिर वह, जितेन्द्र और उसकी पत्नी 'X' को धोरीमन्ना गांव में ढूंढने गए, मगर 'X' नहीं मिली। फिर उनके पास रात को 9 बजे 'X' का फोन आया। उसने कहा कि वह झाड़ियों में पड़ी है, पता नहीं यह जगह कौनसी है। वे ढूंढ़ते–ढूंढ़ते होली चौक के पास बाड़े में गए तो उन्हें वहां 'X' मिली। 'X' ने उन्हें बताया कि वह पकोड़ी खा रही थी, तब रमेश उसे जबरदस्ती पास के कोई मकान में ले गया और उसके साथ खोटा काम किया। उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी। पर्चा बयान कुमारी 'X' प्रदर्श पी 7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल जहां 'X' के साथ रमेश द्वारा खोटा काम करने बाबत मौका देखा था जो प्रदर्श पी 8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दूसरा घटनास्थल प्रदर्श पी 9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज घटनास्थल होली चौक के लिए थे जो प्रदर्श पी 1 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। एक मोबाइल फोन सिम पीड़िता 'X' द्वारा उसके व मनोहर के रूबरू

पुलिस को सुपुर्द की थी जो प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि 'X' घर से कितने बजे गई थी, उसने जाते हुए नहीं देखा था । वह घर पर आया, तब उसकी घरवाली ने उसे बताया कि 'X' जीतू को बोलकर गई है कि वह पानीपूरी खाने गई है । फिर रात को उसके पास नौ–साढ़े नौ बजे फोन आया और 'X' ने उसे कहा कि वह एक बबूल की झाड़ी में पड़ी है, आप लेने आओ । फिर थाने जाकर उन्होंने रिपोर्ट पेश की । बाद में 'X' ने उसे घटना की सारी बात बताई थी । इस सुझाव को सही बताया कि 'X' को घर से कोई जबरदस्ती नहीं लेकर गया था, न ही उसे किसी ने बताया । 'X' अपने मन से पानीपूरी खाने गई थी ।

9. गवाह पी.ड. 05 मनोहर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 25.09.2024 को होली चौक धोरीमन्ना में उसके रूबरू पुलिस ने उसकी बहन 'X' के साथ रमेश द्वारा खोटा काम करने का मौका देखा, जो प्रदर्श पी. 08 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । एक दूसरा मौका बाड़ा का देखा था, जो प्रदर्श पी. 09 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । 'X' द्वारा एक सिम पुलिस को उसके व उसके पिताजी के रूबरू पेश की थी, जो प्रदर्श पी. 10 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने बताया कि मौका देखने गये, तब उनके साथ पुलिस, उसके पिताजी, उसका भाई व विक्रम साथ में थे । उसकी बहन के फोन में जो सिम थी, वह उस लड़के की थी, जो उसने धमकी से दी थी । उसकी बहन को जब घर पर लाये, तब वह घर पर नहीं था । उसके सिर पर चोट लगी हुई थी, बाकी शरीर पर कोई चोट नहीं थी ।

10. गवाह पी.ड. 06 जितेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से करीबन सात–आठ महीने पहले वह अपने मामा मांगीलाल के घर पर गया था, तब उनकी लड़की 'X' ने उसे बताया कि वह 10 मिनट में पानीपूरी खाकर आती है, तब तक आप यही पर रूको । फिर घंटे–डेढ़ घंटे तक वो घर पर नहीं आई । उसने अपने मामाजी को फोन किया और उन्होंने 'X' की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली । रात को नौ बजे 'X' ने उसके मामा को फोन किया कि और कहा कि वह एक बाड़े में है, जहां बबूल की झाडियाँ हैं । फिर 'X' को लेकर वे अस्पताल गये । पुलिस ने 'X' के साथ रमेश द्वारा खोटा काम करने का मौका देखा, जो प्रदर्श पी. 08 व दूसरा नक्शा मौका प्रदर्श पी. 09 है, जिन पर एक्स स्थान पर उसका अंगुष्ठ निशान है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने बताया कि जहाँ 'X'

मिली, वहाँ आसपास में लोगों के रहवासी घर आये हुए थे । इस सुझाव को सही बताया कि 'X' पानीपूरी खाने से लेकर रात को नौ बजे तक झाडियों में थी, तब तक इस फोन के अलावा किसी अन्य पड़ौसी व रिश्तेदार को 'X' ने कोई फोन नहीं किया था । जब वह 'X' के पास गये, तब 'X' के सिर पर चोट आई हुई थी और उसके कोई कपड़े वगैरह नहीं फटे हुए थे । अगले दिन सुबह पुलिस कमरे के अंदर गई थी, उसने अंदर जाकर नहीं देखा । 'X' के पास उसने फोन नहीं देखा था । इस सुझाव को गलत बताया कि 'X' ने खुद ने फोन करके किसी को बुलाया हो और उन्हें झूठ बोलकर पानीपूरी खाने का कहकर गई हो ।

11. गवाह पी.ड. 07 'X' ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29 फिर कहा कि दिनांक 23.09.2024 को करीबन एक बजे उसकी बुआ का लड़का जीतू उसके घर पर था। वह करीबन एक बजे पानी पूरी खाने के लिये होली चौक गई थी। वहां रमेश देशान्तरी खड़ा मिला। उसके पास एक पानी की बोतल थी। उसमें कुछ मिलाया था या नहीं पता नहीं। उसने उसे बुलाया और उसे पानी पिलाया। फिर उसके साथ धक्का–मुक्की करके एक रूम में ले गया। फिर उसके साथ वहां पर रमेश ने खोटा काम किया। रमेश ने उसके साथ धक्का–मुक्की की, उसके सिर के बाल खींचे। फिर वो पानी की बोतल व चीप्स लेकर आया था। वे आधा घण्टा करीबन रूम में रूके। फिर वो उसे एक दीवार के पास ले गया और वहां से उसे धक्का मारकर नीचे गिराया। फिर उसके पास में एक छोटा मोबाइल था, जिसमें सिम लगी हुई थी, जो रमेश कुमार ने करीबन एक महीना पहले दी थी। उन दोनों के बातचीत होती रहती थी। वहां जहां पर उसे धक्का दिया, वहां बड़ी दीवार करीब 09–10 फिट की थी, तो वहां से उसने उसके पापा के मोबाइल नंबर 9985335930 पर फोन किया। उसके पापा पुलिस वालों को लेकर वह जिस बाड़े में थी, वहां पर आए थे, फिर उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके पुलिस ने पर्चा बयान लिए थे जो प्रदर्श पी 7 हैं, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फिर वे हॉस्पीटल गए थे, वहां पर उसकी जांच वगैरह हुई थी। फिर बाद में पुलिस घटनास्थल प्रथम व द्वितीय का मौका उसके रूबरू देखा था। प्रथम घटनास्थल प्रदर्श पी 8 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है और द्वितीय घटनास्थल प्रदर्श पी 9 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उसके कोर्ट में पूर्व में बयान हुए थे, जो प्रदर्श पी 11 हैं, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसका मेडिकल हुआ था। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान के दौरान उसने उसका जाति प्रमाण–पत्र दिया था, जो मूल प्रदर्श पी. 13 है, जिसकी प्रति प्रदर्श पी.

13 ए है । घटनास्थल के सीसीटीवी के फुटेज उसने दिये थे, जो प्रदर्श पी. 01 है, जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है । एक मोबाईल फोन उससे पुलिस ने लिया था, जो प्रदर्श पी. 10 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने बताया कि वह रमेश को घटना के एक महीना पहले से जानती थी । उसके पास जो उसकी माँ का छोटा मोबाईल था, उसके अंदर सिम रमेश ने लाकर दी थी, जो सिम रमेश ने उसे जबरदस्ती दी थी । रमेश द्वारा उसे सिम देने बाबत् उसने अपने मम्मी–पापा को कभी जिक्र नहीं किया, अजखुद कहा कि रमेश उसे धमकी देता था, इस बात का भी उसने जिक्र नहीं किया । जब उसे रमेश होली चौक से जिस बाड़े में ले गया, तब उसने कोई आवाज नहीं की, क्योंकि रमेश ने उसे धमकी दी थी । रमेश ने उसके बाल खींचे थे । इस सुझाव को सही बताया कि जिस बाड़े में वे लोग गये, उसमें बबूल की झाडियाँ पड़ी थी व एक पुरानी ओरड़ी थी । उसने शाम को नौ–दस बजे उसके पिताजी को फोन किया था । एक बजे से लेकर जब तक रमेश ने उसे बाड़े में छोड़ और रात को नौ बजे तक उसने कोई हो–हल्ला नहीं किया, क्योंकि उसे कुछ पिलाया था, जिससे उसकी आंखे खुल नहीं रही थी, जैसे ही उसकी आंखे खुली, वैसे ही उसने अपने पिताजी को फोन किया । उसने 23 तारीख को 7413949705 पर फोन नहीं किया था, अगर उसके फोन से इन नंबरों पर फोन किया गया है, तो उसने नहीं किया था, उसने अपने पापा को फोन किया था । इस सुझाव को गलत बताया कि वह रमेश कुमार को फोन करके होली चौक गई हो और लोगों द्वारा उसे होली चौक पर रमेश के साथ देखने से पास सुनसान बाड़े में छुप गई हो ।

12. गवाह पी.ड. 08 रामाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 30.09.2024 को प्रकरण संख्या 258/2024 में पीड़िता 'X' के मेडिकल ऑफिसर द्वारा लिए गए प्रिजर्व सैम्पल मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी व आरोपी रमेश कुमार के प्रिजर्व सैम्पल मार्क ए बी, सी, डी, ई, एफ परीक्षण हेतु एफएसएल शाखा में जमा कराने हेतु उसको रोड नंबर 93 के अनुसार मय अग्रेषण पत्र दिया। उसने उक्त माल चैक करके प्राप्त किया जो सही हालत में सीलबंद था। थाना से रवाना होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बाड़मेर पहुंचकर एफएसएल जोधपुर के नाम के कागजात तैयार करवाए जो दिनांक 01.10.2024 को क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर दिनांक 01.10.2024 को रसीद की नकल कार्यालय रेकर्ड हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा करवायी और असल रसीद थाना पर दी। रोड नंबर 93 का माल उसके कब्जे में रहा, तब

सुरक्षित एवं सही हालत में रहा। रोड सर्टिफिकेट नंबर 93 है जो प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 15 है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 16 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है और प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 17 है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि दिनांक 30.09.2024 को प्रकरण संख्या 258/24 में माल एफएसएल जोधपुर ले जाने के संबंध में उसकी रवानगी रपट पुलिस थाना, धोरीमन्ना की उक्त पत्रावली में नहीं है । इसी प्रकार उक्त पत्रावली में उसकी आमद रपट भी पुनः थाना आने के संबंध में नहीं है । इस सुझाव को सही बताया कि प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 17 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है । प्रदर्श पी. 15 के साथ उसे डॉक्टर का अग्रेषण–पत्र दिया गया । इस सुझाव को सही बताया कि उसने अपने बयानों के मुख्य परीक्षा में इस बात का उल्लेख नहीं किया है क उक्त माल एफएसएल में जमा करवाने हेतु पुलिस थाना, धोरीमन्ना से उसे किसने सुपुर्द किया था ।

13. गवाह पी.ड. 09 कानाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 17.03.2024 को प्रकरण संख्या 258/2024 पुलिस थाना धोरीमन्ना में पीड़िता 'X' के श्रीमान् एसएमओ साहब द्वारा लिये गये मेडिकल प्रदर्श मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी व आरोपी रमेश कुमार मेडिकल ऑफिसर द्वारा लिये गये प्रिजर्व सैम्पल मार्क ए, बी, सी, डी, ई व एफ प्राप्त होने पर उसने मालखाना रजिस्टर में जमा करके मालखाना में सुरक्षित रखा जिनको दिनांक 30.09.2024 को उक्त प्रकरण में माल परीक्षण हेतु एफएसएल शाखा जोधपुर में जमा कराने के लिये रोड नंबर 93 मय अग्रेषण पत्र के कॉनिस्टेबल रामाराम को सुपुर्द कर रवाना किया, जिसके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर दिनांक 01.10.2024 को क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की। प्रकरण हाजा का माल थाना के मालखाना में उसके कब्जे में सुरक्षित व सीलबंद था। थाना का मालखाना रजिस्टर में जमा माल मद संख्या 158/24 में पीड़िता 'X' का एक मोबाइल मार्क ए जमा किया जो प्रदर्श पी 18 है, जिस पर ए से वी जमा माल का विवरण है, सी से डी प्रकरण संख्या व जमा माल करने वाले का इंद्राज है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 18ए है, जिस पर ए से बी जमा माल का विवरण है, सी से डी प्रकरण संख्या व जमा माल करने वाले का इंद्राज है। मूल मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 155 पर मुलजिम रमेश कुमार के मेडिकल सैम्पल जमा का इंद्राज है, जो प्रदर्श पी 19 है, जिस पर ए से बी जमा माल का इंद्राज है, सी से डी प्रकरण संख्या व जमाकर्ता का विवरण है

और ई से एफ एफएसएल में जमा कराने का विवरण है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 19 ए है, जिस पर ए से बी जमा माल का इंद्राज है, सी से डी प्रकरण संख्या व जमाकर्ता का विवरण है और ई से एफ एफएसएल में जमा कराने का विवरण है। मूल मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 151/24 पर मालखाना जमा का इंद्राज है जो प्रदर्श पी 20 है, जिस पर ए से बी जमा माल का विवरण है, सी से डी प्रकरण संख्या व जमाकर्ता का विवरण है, ई से एफ एफएसएल भेजने का विवरण है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 20 ए है, जिस पर ए से बी जमामाल का इन्द्राज है, सी से डी प्रकरण संख्या व जमाकर्ता का विवरण है और ई से एफ एफएसएल में जमा कराने का विवरण है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 18, 19 व 20 में जो मालखाना इन्द्राज किया गया है, वो उसके द्वारा किया गया है, लेकिन उक्त फर्दात् पर उसके हस्ताक्षर नहीं है । इस सुझाव को सही बताया कि फर्द प्रदर्श पी. 19 पर माल एफएसएल वाहक रामाराम नबर 1195 के एफएसएल में माल ले जाने व माल प्राप्त करने के संबंध में कोई हस्ताक्षर नहीं है, इसी प्रकार प्रदर्श पी. 20 में भी रामाराम के हस्ताक्षर नहीं है । इस सुझाव को सही बताया कि रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी. 14 उसके द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर नहीं है ।

14. गवाह पी.ड. 10 मोहनलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.10.2024 को प्रकरण संख्या 258/2024 पीएस धोरीमन्ना में अनुसंधान अधिकारी श्री सुखाराम द्वारा परिवादीया 'X' के द्वारा उपयोग में लिये गये मोबाईल नंबर 7665436265 के नंबरों की सीडीआर का उसके व दिनेश कुमार के रूबरू विश्लेषण कर फर्द प्रदर्श पी. 05 मुर्तिब की । आरोपी रमेश के द्वारा उपयोग में लिये गये मोबाईल व परिवादीया 'X' के द्वारा उपयोग में लिये गये मोबाईल से उन दोनों के आपस में बातचीत होती थी । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि उसने मुलजिम रमेश व 'X' के द्वारा उपरोक्त फोन प्रयोग में लेते नहीं देखे थे । इस सुझाव को सही बताया कि उपरोक्त फोन से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से चालू हालत में फोन होने से बात कर सकता है ।

15. गवाह पी.ड. 11 डॉ. अर्पिता चौहान ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.09.2024 पीएस धोरीमन्ना की तहरीर पर 'X' पुत्री मांगीलाल का बलात्संग संबंधी परीक्षण किया था, जो प्रदर्श पी. 12 है । परीक्षण के दौरान मजरूबा 'X' के प्राईवेट पार्ट्स पर

कोई इंजरी नहीं थी और न ही कोई ब्लीडिंग हो रही थी । 'X' के साथ दिनांक 23.09.2024 को घटना दिन में दो बजे होना बताया था । उसके मासिक धर्म के दिनांक से 10–12 दिन पहले आना बताया था । पीडिता के वेजाईनल स्मेयर, वेजाईनल स्वाब, प्यूबिक हेयर, सलाईवा ऑन गॉज, ब्लड ऑन गॉज, एफटीए कार्ड, पीले रंग की अण्डरवीयर लिये, जिसको सीलचेपा कर पुलिस को सुपुर्द किये थे । प्रदर्श पी. 12 पर सी से डी मेडिकल एग्जामिनेशन एवं सैंपल का विवरण है, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है । पीडिता 'X' के पहचान सबंधी फॉर्म डीएनए बाबत् एफएसएल सैंपल हेतु डायरेक्टर एफएसएल जोधपुर को भेजे थे, जिसकी फोटोप्रति पत्रावली में उपलब्ध है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने बताया कि उसने जब पीडिता 'X' का मेडिकल परीक्षण किया, तब निश्चित रूप से नहीं बता सकती थी कि 'X' के साथ उसके एक दिन पूर्व दिनांक 23.09.2024 को या परीक्षण से 24 घंटे पूर्व उसके साथ में किसी तरह का सैक्सयुअल इंटरकोर्स हुआ हो, निश्चित राय एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही दी जा सकती है, क्योंकि वक्त परीक्षण मजरूबा के प्रावेट पार्ट्स पर किसी तरह की कोई चोट के आलामात व ब्लीडिंग होना नहीं पाया गया था । इस सुझाव को सही बताया कि परीक्षण के दौरान पीडिता 'X' के हिप्स पर या पीठ पर किसी तरह की कोई खरोंच या चोट नहीं पाई गई थी । इस सुझाव को सही बताया कि उसने पीडिता 'X' के शारीरिक जाँच में ऐसे कोई आलामात नहीं पाये कि वह सैक्सयुअल इंटरकोर्स के लिए एक्टिव हो ।

16. गवाह पी.ड. 12 डॉ. लोकेश गीगल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.09.2024 को पीएस धोरीमन्ना की तहरीर पर 'X' पुत्र मांगीलाल की चोटों का निरीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 21 तैयार किया । चोट संख्या 1 भौंटे हथियार से कारित व साधारण प्रकृति की थी और चोट संख्या 2 सिर में दर्द होना जाहिर किया । प्रदर्श पी. 21 पर ए से बी चोटों का विवरण, सी से डी पहचान चिह्न व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है । पीडिता 'X' का बलात्संग संबंधी परीक्षण उसके व डॉ. अर्पिता द्वारा किया गया, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 12 है, जिस पर ए से बी मजरूबा के हस्ताक्षर, सी से डी मेडिकल परीक्षण व सैंपल का विवरण, जी से एच उसके हस्ताक्षर है । मजरूबा के प्राईवेट पार्ट्स का परीक्षण महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया था और उसके सैंपल ए, बी, सी, डी, ई, एफ व जी लिये गये, जिसको सीलचेपा कर पुलिस को सुपुर्द किया । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह मे गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 21 में दर्शित चोट सामान्य अनुक्रम में कोई भी आदमी पथरीली जमीन पर हाथ के बल गिर जाये तो चोट संख्या 1

आना स्वाभाविक है । इस सुझाव को सही बताया कि किसी भी व्यक्ति के सिर में दर्द होना किसी चोट के कारण नहीं होता है । उसने मजरूबा 'X' के प्राईवेट पाट्र्स का परीक्षण नहीं किया, इसलिए नहीं बता सकता कि उसके साथ परीक्षण से 48 घंटे पूर्व किसी तरह का सैक्सयुअल इंटरकोर्स हुआ हो । इस सुझाव को सही बताया कि किसी महिला के साथ में पथरीली अथवा कंटीली जगह पर जबरदस्ती सैक्सयुअल इंटरकोर्स किया जाये तो उसकी पीठ व उसके हिप्स पर सामान्य अनुक्रम में चोट आना स्वाभाविक है ।

17. गवाह पी.ड. 13 शेराराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.09.2024 को प्रकरण संख्या 258/24 पीएस धोरीमन्ना में अनुसंधान अधिकारी श्री सुखाराम द्वारा उसके व दिनेश कुमार के रूबरू जैर हिरासत मुलजिम रमेश कुमार द्वारा बलात्कार करने बाबत् फर्द मौका तस्दीक मुर्तिब की, जो प्रदर्श पी. 03 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है और उसी रोज परिवादीया 'X' को जैर हिरासत मुलजिम रमेश कुमार द्वारा बैठाकर रखने का स्थान उसके व दिनेश कुमार के रूबरू फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी. 04 मुर्तिब की, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 03 में वर्णित मौका स्थल एक सुनसान कमरा था । इस सुझाव को सही बताया कि उक्त कमरे में सुनसान होने के कारण किसी व्यक्ति के उठने, बैठने के आलामात नजर नहीं आ रहे थे और न ही प्रदर्श पी. 03 में किसी आलामात का वर्णन किया हुआ है । इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 04 में वर्णित बाड़े में बबूल की झाडियाँ आई हुई थी, जो कंटीली झाडियाँ थी तथा जहाँ पर किसी व्यक्ति के बैठने के आलामात नजर नहीं आ रहे थे और न ही किसी प्रकार के खोज के निशान थे ।

18. गवाह पी.ड. 14 डॉ. मुकेश कुमार यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.09.2024 को पीएस धोरीमन्ना के प्रकरण में उप अधीक्षक वृत्त गुड़ामालानी की तहरीर पर आरोपी रमेश कुमार के पुरूषत्व संबंधी मेडिकल बाबत् उसे तहरीर दी गई, जो प्रदर्श पी. 22 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । रमेश कुमार का पुरूषत्व परीक्षण प्रदर्श पी. 23 है । परीक्षण के दौरान रमेश के एस्टीस प्रेजेंट थे, सेन्सेशन प्रजेंट था, पेनिस स्कीन रिट्रेक्टेबल थी । सैक्सुअल डेवलपमेंट 13 साल की उम्र में हो गया था । पेनिस पर इस्मेगमा प्रेजेंट था और कोई इंजरी नहीं थी । उसके सलाईवा ऑन गॉज, ब्लड ऑन गॉज, प्यूबिक हेयर, ग्लान्स पेनिस स्वॅाब, क्लोथ्स अण्डरवीयर ब्लू एंड ब्लैक जिसको सीलचेपा कर

पुलिस को दिये थे । उसकी राय के अनुसार नरेश के परीक्षण के दौरान उसने पाया कि उक्त व्यक्ति में ऐसे कोई लक्षण नहीं थे कि वो संभोग करने में असक्षम हो । पुरूषत्व परीक्षण प्रदर्श पी. 23 है, जिस पर ए से बी आरोपी की सहमति, एक्स स्थान पर अंगुष्ठ निशान, सी से डी परीक्षण एवं ए, बी, सी, डी, ई सैंपल का विवरण, ई से एफ राय है, वाई स्थान पर सील का निशान है व जी से एच उसके हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 23 प्रिंटेड फॉर्मेट इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 23 में उसके हस्तलिखित रमेश के पुरूषत्व संबंधित राय नहीं है, प्रिंटेड फॉर्मेट में ई से एफ भाग में राईट का टिक मार्क करके दर्शाया गया है ।

19. गवाह पी.ड. 15 सुखाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 25.09.2024 को उप अधीक्षक पुलिस वृत गुड़ामालानी के पद पर कार्यरत था, उस रोज प्रकरण संख्या 258/24 पुलिस थाना धोरीमन्ना की पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा पीड़िता व उसके पिता की उपस्थिति में रूबरू मोतबीरान घटनास्थल प्रथम व द्वितीय का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका मुर्तिब की गयी थी, घटनास्थल प्रथम प्रदर्श पी 8 है, जिस पर ए से बी मांगीलाल के, सी से डी मनोहर के, ई से एफ 'X' के व एक्स स्थान पर भौतवीर जीतू उर्फ जितेन्द्र का अंगूष्ठ निशान है और जी से एच उसके हस्ताक्षर है। द्वितीय घटनास्थल फर्द प्रदर्श पी 9 है, जिस पर ए से बी मांगीलाल के, सी से डी मनोहर के, ई से एफ 'X' के व एक्स स्थान पर मोतबीर जीतू उर्फ जितेन्द्र का अंगूष्ठ निशान है और जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उक्त पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु प्राप्त होने से पूर्व दिनांक 23.09.2024 को थानाधिकारी पुलिस थाना धोरीगन्ना श्री माणकराम ने पीड़िता 'X' के पर्चा बयान लेखबद्ध किए थे जो प्रदर्श पी 7 है, जिस पर ए से बी मांगीलाल के, सी से डी 'X' के, ई से एफ महिला कॉनिस्टेबल गोगी के व जी से एच माणकराम थानाधिकारी के हस्ताक्षर है और एक्स स्थान पर पीड़िता की माता पंखी देवी का अंगूष्ठ निशान है। उनके द्वारा उपरोक्त पर्चा बयान के आधार पर कायमी मुकदमे का पृष्ठांकन किया, जो आई से जे है। उक्त पर्चा बयान के आधार पर पर्चा चाक एफआईआर कर्ता की जो प्रदर्श पी 24 है, जिस पर माणकराम के डिजिटल हस्ताक्षर है। गवाहान के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये । पीड़िता 'X' के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत कथन माननीय न्यायालय से लेखबद्ध करवाकर प्रमाणित नकल लेकर शामिल पत्रावली की, जिसके मूल बयान प्रदर्श पी 11 है। उक्त बयान करवाने बाबत् श्रीमान् अतिरिक्त वरिष्ठ

सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 बाड़मेर को पीड़िता के 183 बी.एन.एन.एस. के तहत बयान लेखबद्ध करवाने हेतु लिखी गई तहरीर प्रदर्श पी 25 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसधान पीड़िता 'X' का चोट प्रतिवेदन प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी 21 है, जिस पर जी से एच शामिल पत्रावली बाबत् पृष्ठांकन व उसके हस्ताक्षर है। थानाधिकारी द्वारा पीड़िता का मेडिकल करवाने हेतु लिखी गई तहरीर प्रदर्श पी 26 है, जिस पर थानाधिकारी माणकराम के हस्ताक्षर व सी से डी शामिल पत्रावली का नोट व उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 है, जिस पर आई से जे शामिल पत्रावली व के से एल उसके हस्ताक्षर है। एमओ द्वारा डायरेक्टर एफएसएल जोधपुर को लिखा गया फॉरवर्डिंग लेटर व पीड़िता का एफटीए कार्ड पर ब्लड लेने हेतु फॉर्म व सैम्पल लेने की कागजात की फोटोप्रतियां शामिल पत्रावली की गई। पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया, जो प्रदर्श पी 13 ए है, जिस पर ए से वी शामिल पत्रावली व उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल प्रथम के पास में लगे हुये सीसीटीवी फुटेज संबंधित मकान मालिक से जरिये फर्द सीसीटीवी फुटेज तैयार कर रूबरू मौतबिरान फर्द मुर्तिब की जो प्रदर्श पी 1 है, जिस पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के, ई से एफ मकान मालिक आलमचंद के, जी से एच मांगीलाल के, आई से जे 'X' के व के से एल उसके हस्ताक्षर है। मकान मालिक आलमचंद से धारा 63 सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी 6 है, जिस पर ए से बी मकान मालिक आलमचंद के हस्ताक्षर व सी से डी शामिल पत्रावली व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता 'X' के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना करवाने हेतु हैड कॉनिस्टेबल कानाराम द्वारा लिखी गई तहरीर की कार्बन प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 27 है, जिस पर ए से बी हैड कॉनिस्टेबल कानाराम के हस्ताक्षर है। मुलजिम रमेश कुमार के विरुद्ध जुर्म धारा 127(2), 140(3), 64(1), 115(2) बीएनएस व 3(1)(w)(ii), 3(2)(v), 3(2)(va) एससी एसटी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर मुलजिम को रूबरू मोतबीरान गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के, एक्स स्थान पर मुलजिम रमेश का अंगूष्ठ निशान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 26.09.2024 को जैर हिरासत मुलजिम रमेश ने स्वेच्छा से मन आईओ को इत्तला दी कि दिनांक 23.09.2024 को उसके द्वारा 'X' के साथ जिस स्थान पर संभोग खोटा काम किया और बाद में 'X' को उसके द्वारा बहला फुसलाकर एक सूने बाड़े में बिठाया

उस स्थान को वह साथ में चलकर बता सकता है, जो इत्तला मुलजिम रमेश कुमार के कहे अनुसार लिखी गई जो प्रदर्श पी 28 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर मुलजिम रमेश कुमार का अंगूष्ठ निशान है। उक्त इत्तला के आधार पर रूबरू मोतबीरान जैर हिरासत मुलजिम रमेश कुमार की निशादेही से मौका तस्दीक फर्द प्रथम व द्वितीय तैयार की गई जो प्रथम मौका प्रदर्श पी 3 व द्वितीय मौका प्रदर्श पी 4 है, जिन पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के व एक्स स्थान पर मुलजिम के अंगुष्ठ निशान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम रमेश कुमार का पुरुषत्व बाबत् मेडिकल करवाने व सैम्पल लेने हेतु एमओ राजकीय चिकित्सालय धोरीमन्ना को लिखी गई तहरीर प्रदर्श पी 22 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। रमेश की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 23 है, जिस पर आई से जे शामिल पत्रावली का नोट व उसके हस्ताक्षर है। एफटीए कार्ड पर बल्ड लेने हेतु एमओ द्वारा भरा गया फॉर्म मुलजिम रमेश कुमार का, उसकी फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। दौराने अनुसंधान दिनांक 30.09.2024 को पीड़िता 'X' द्वारा मुलजिम रमेश कुमार से वार्तालाप हेतु काम में लिया गया मोवाइल मय सिम रूबरू मोतबीरान प्राप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर सीलचेपा कर मार्क ए अंकित किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के, ई से एफ 'X' के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। पीड़िता 'X' द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल नंबर 7665436265 की सीडीआर मंगवायी जाकर फर्द विश्लेषण सीडीआर रूबरू मोतबीरान तैयार की गई जो प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सीडीआर प्राप्त करने हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 29 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उपरोक्त नकलों की सीडीआर प्रदर्श पी 30 है, जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली का नोट व उसके हस्ताक्षर है जो कुल 13 पृष्ठ में है। गुलजिम रमेश कुमार से पीड़िता द्वारा बात करने के लिए जिन नंबरों का उपयोग किया जा रहा था, उनका कैफ प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया जो सिम नंबर 7665436265 है। मुलजिम रमेश कुमार द्वारा मोबाइल नंबर 7413949705 से पीड़िता से बात करने हेतु उपयोग में लिए गए मोबाइल का कैफ फॉर्म प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया व एक अन्य नंबर 6367036546 से भी पीड़िता से बात करने के लिए उपयोग में लिया गया था, जिसका कैफ प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया जो क्रमशः प्रदर्श पी 31, 32 व 33 है, जिन पर ए से बी शामिल पत्रावली का नोट व उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता 'X' व मुलजिम रमेश कुमार के एमओ द्वारा लिए गए सैम्पल सीलबंद हालत में

थानाधिकारी धोरीमन्ना द्वारा कागजात तैयार करवाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बाड़मेर के मार्फत विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में विशेष वाहक के जरिये जमा करवाए गए थे, जिसका रोड सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 14 है, जिस पर सी से डी उसका शामिल पत्रावली का नोट व हस्ताक्षर है। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ई से एफ शामिल पत्रावली व उसके हरताक्षर है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 16 है, जिस पर सी से डी शामिल पत्रावली का नोट व उसके हस्ताक्षर है। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 17 है, जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली का नोट व उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 34 है जो तीन पृष्ठ में है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्रदर्श पी 18ए है, जिस पर ए से बी जमा माल का विवरण है व इसी प्रकरण में जमा माल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 19ए है और 20ए है। मालखाना पुलिस थाना धोरीमन्ना से हैड कॉनिस्टेबल कानाराम मालखाना रजिस्टर व माल लेकर न्यायालय में उपस्थित हुआ, जो माल सीलबंद हालत में था, जिसको खोला गया, जिसके उपर एक चेपा लगा हुआ जो सीलचेपा प्रदर्श पी 35 था, जिसमें एक मोबाइल फोन एमटीआर कंपनी का, जिसमें सिम लगी हुई, जिस पर मार्क ए अंकित था, जिस पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के व ई से एफ पीड़िता 'X' के व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 35ए है, जिसमें एक मोबाइल फोन एमटीआर कंपनी का, जिसमें सिम लगी हुई, जिस पर मार्क ए अंकित था, जिस पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के व ई से एफ पीड़िता 'X' के व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। सफेद सीलचेपा थैली को खोला गया, जिसमें एक छोटा एमटीआर कंपनी का मोबाइल जिसमें सिम लगी हुई जो आर्टिकल 1 है। बाद एफएसएल माल एक सफेद कपड़े की थैली में सीलबंद हालत में था, जिसके उपर आरएफएसएल/जेओडी/डीएनए/एग्जाम लिखा हुआ था, जिस पर 1031/24 लिखा हुआ था, जिसमें एक सफेद गत्ते का पैकेट जिस पर 'X' लिखा हुआ जो खुली अवस्था में था, जिसमें दो चिट लाल कलर की, जिस पर डीएनए टोकन लिखा हुआ था, दो कांच की शीशी जो पैक अवस्था में थी, जिनमें एक पर हिंदी में 'X' और दूसरी में अंग्रेजी में 'X' लिखा हुआ था। दो सफेद रंग के लिफाफे जिस पर एक पर डिस्पेच नंबर 38 लिखा हुआ, जिस पर ब्लड ऑन एफटीए मिस 'X' लिफाफे पर अंकित था। दूसरा लिफाफा जिस पर डिस्पेच नंबर 41 लिखा हुआ और रमेश कुमार का एफटीए कार्ड लिखा हुआ था। एक सफेद कपड़े की खुली थैली, जिस पर एक चेपा लगा हुआ था, उसमें पीड़िता विगला का

अण्डरवीयर है जो मेडिकल ऑफिसर द्वारा परीक्षण के समय जब्त किया गया था। इसी तरह एक दूसरी सफेद कपड़े की खुली थैली, जिसमें मुलजिम रमेश कुमार के सैम्पल व अण्डरवीयर संबंधी चिट लगी हुई थी और थैली के अंदर दो कांच की शीशी व एक अण्डरवीयर थी। बाद तफ्तीश उसके द्वारा गुलजिम रमेश कुमार के विरुद्ध जुर्म धारा 127(2), 140(3), 64(1), 115(2) बीएनएस व 3(1)(w)(ii), 3(2)(v), 3(2)(va) एससी एसटी एक्ट का अपराध प्रमाणित मान पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बाड़मेर से नतीजा आदेश प्राप्त कर अभियुक्त रमेश कुमार के विरुद्ध आरोप–पत्र माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु पुलिस थाना, धोरीमन्ना भिजवाई गई थी, जिस पर थानाधिकारी धोरीमन्ना द्वारा मुलजिम के विरुद्ध आरोप–पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि दोनों घटनास्थल के अड़ौस–पड़ौस के किसी भी रहवासी व्यक्ति के बयान सिवास आलम जी के मकान के सीसीटीवी फुटेज के अतिरिक्त उसने किसी से कोई अनुसंधान नहीं किया। इस सुझाव को गलत बताया कि उक्त घटनास्थल के अड़ौस–पड़ौस के लोगों ने उक्त घटना होने से इंकार किया हो, इस वजह से उसके द्वारा उनके बयान नहीं लिये गये हो। इस सुझाव को सही बताया कि घटनास्थल पर पानी की बोतल अथवा चिप्स, नमकीन के टुकड़े व उसके खाली पाउच संबंधी आलामात नहीं मिले थे। घटनास्थल पर दिनांक 23.09.2024 की रात्रि को 9 बजे के लगभग पुलिस 'X' के पिता मांगीलाल के संदेश पर घटनास्थल पर पहुँचती है। इस सुझाव को सही बताया कि पीडिता 'X' दिन को एक बजे से लेकर रात्रि 9 बजे से पहले किसी भी घर के सदस्य को बाड़े में उसकी उपस्थिति के संबंध में नहीं बताया था। दिनांक 23.09.2024 को 9:45 मिनट 24 सेकंड पर उसके पिता से फोन किया हुआ अंकित है। इस सुझाव को सही बताया कि उसी दिन 9 बजे से लेकर 9:43 मिनट तक रमेश के फोन से आउट गोईंग है व एक बार इन कमिंग कॉल का इन्द्राज है। इस सुझाव को गलत बताया कि पीडिता 'X' के साथ बलात्कार संबंधी कोई घटना नहीं हुई हो और पीडिता के पिता मांगीलाल के साथ मिलकर पुलिस ने झूझा प्रकरण दर्ज किया हो और अभियुक्त के विरुद्ध झूठा आरोप–पत्र पेश किया हो।

20. अभियुक्त का परीक्षण दंड प्रकिया संहिता की धारा 313 के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होने, स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया। साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

21. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया व मनन किया गया।

22. दौराने बहस अपर लोक अभियोजक की ओर से यह तर्क रहे हैं कि पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित आरोप संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

23. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने मुख्य रूप से तर्क दिये हैं कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहान के मध्य गंभीर विरोधाभास है । अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटनास्थल के पड़ौसियान से कोई पूछताछ नहीं की गई । किसी भी स्वतंत्र गवाहान के बयान लेखबद्ध नहीं किये गये है । पीडिता के शरीर पर कोई जाहिर चोट नहीं पाई गई है । पीडिता व अभियुक्त के मध्य पूर्व से मोबाईल के जरिये बातचीत होती रहती थी तथा पीडिता के सहमति से दोनों के मध्य शारीरिक संबंध स्थापित हुए हैं, अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ किसी भी प्रकार की कोई जोर–जबरदस्ती नहीं की गई । पीडिता के पास फोन होने के बाद भी उसने दोपहर के 1 बजे से लेकर रात को नौ बजे तक किसी से भी संपर्क नहीं किया, जिससे उसकी सहमति जाहिर होती है । सीसीटीवी फुटेज से कहीं पर भी यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा गुप्त रीति से पीडिता का अपहरण किया गया हो या उसका सदोष परिरोध किया गया हो । न्यायालय के समक्ष परीक्षित मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है । अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया ।

24. प्रकरण के निस्तारण के लिए विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है:–

‘‘क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.09.2024 को दोपहर के करीबन 1 बजे सरहद होली चौक धोरीमन्ना में परिवादीया कुमारी 'X' का गुप्त रीति से सदोष परिरोध कारित करने के आशय से उसे होली चौक में बने सुने कमरे में जबरन ले जाकर पीडिता का अपहरण किया और उसे जबरदस्ती रोककर, स्वैच्छया बाधा कारित कर उसे एक निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोकर सदोष परिरोध कारित किया तथा उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सम्मति के बिना जबरन मैथुन कर बलात्संग किया और थापों–मुक्कों से मारपीट कर स्वैच्छया साधारण उपहतियाँ कारित की तथा परिवादीया कुमारी 'X' को अनुसूचित जाति की सदस्य होना जानते हुए लैंगिक प्रकृति

के शब्दों, कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग कर उसके साथ बलात्संग किया साथ ही उसे अनुसूचित जाति की सदस्या होना जानते हुए उसके साथ भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित किया और उसे अनुसूचित जाति सदस्य होना जानते हुए उसके साथ उक्त आरोपित अपराध कारित किये ?

यदि हाँ, तो युक्तियुक्त दण्ड क्या होगा ?

25. उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में न्यायालय का विवेचन निम्नानुसार है:–

26. हाजा प्रकरण में अभियुक्त रमेश कुमार को अपराध अंतर्गत धारा 140(3), 127(2), 64(1), 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 3(1)(w)(ii), 3(2)(v), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट से विरचित किया गया है ।

27. प्रकरण हाजा में अभियुक्त पर आरोपित अपराधों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में पीडिता स्वयं कुमारी 'X' न्यायालय के समक्ष पी.ड. 07 के रूप में परीक्षित हुई, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 23.09.2024 को करीब 1 बजे जब उसकी बुआ का लड़का जीतू घर पर था, तब वह पानीपूरी खाने के लिए होली चौक गई थी, वहाँ पर उसे रमेश मिला और उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी और रमेश ने उसको पानी पिलाया । फिर धक्का–मुक्की करके रूम में ले गया और वहाँ पर उसके साथ रमेश ने खोटा काम किया । रमेश वहाँ पर पानी की बोतल और चिप्स लेकर गया था और करीबन आधा घंटा रूम में रुके थे और फिर रमेश उसे एक दीवार के पास ले गया, जहाँ पर उसे धक्का मारकर नीचे गिराया । गवाह ने यह भी जाहिर किया कि उसके पास एक मोबाईल फोन था, जिसमें रमेश कुमार ने करीबन एक महीने पहले उसे एक सिम दी थी और उसी फोन से उसने अपने पापा के मोबाईल नंबर 9985335930 पर फोन किया था । उसके पापा पुलिस वालों को लेकर आये थे और वह स्थान बाड़ा था । फिर उसने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी । गवाह ने अपने द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर, दोनों जगहों का घटनास्थल का नक्शा मौका, स्वयं के पर्चा बयान और अपने कोर्ट में हुए बयान प्रदर्शित करवाये और अपना मेडिकल जो करवाया उसको भी ताईद किया है । घटनास्थल के फुटेज भी इस गवाह ने पुलिस के द्वारा लिया जाना ताईद किया है । जिरह के दौरान इस गवाह ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार करना कहा है कि उसे सिम रमेश ने दी थी, वह रमेश से लगातार बात करती थी,

लेकिन इन बातों का उसने अपने माता–पिता से कोई जिक्र नहीं किया और फोन करने के लिए दबाव रमेश बनाता था और उसे धमकी देता था । गवाह ने इस तथ्य को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जब रमेश उसे लेकर गया, तब उसने कोई आवाज नहीं की थी और बाड़े में जहाँ वे लोग गये, उसमें बबूल की झाडियाँ पड़ी थी और पुरानी ओरडी थी । अतः इन सवालों से अभियोजन पक्ष के वे तथ्य जिसमें कि पीडिता ने स्वयं स्वीकार किया है कि रमेश को वह पूर्व से जानती थी, उससे फोन पर बातचीत करती थी और उसके साथ खोटा काम करने के लिए उसे होली चौक से लेकर गया था और वह दबाव में थी और जिस घटनास्थल का पीडिता अपने मुख्य बयानों में कथन करती है, उन्हीं तथ्यों को जिरह में अधिवक्ता के सुझावात्मक प्रश्न से प्रबल बल मिलता है । गवाह ने जिरह में यह भी स्पष्ट किया कि उसने रात को नौ बजे अपने पिता को फोन किया था और 1 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक रमेश ने उसे बाड़े में छोड़ा और उसने उस समय हो–हल्ला इसलिए नहीं किया, क्योंकि उसे कुछ पिलाया गया था, जिससे उसकी आंखें खुल नहीं रही थी और जैसे ही उसकी आंखें खुली, तो उसने अपने पिता को फोन किया और उसके पिता पुलिस को साथ लेकर आये । अतः उसी दिन की घटना की सूचना और अपने पिता को अपने साथ हुई घटना को बताना स्वयं इस बात की ओर इंगित करता है कि पीडिता के साथ जो गलत काम हुआ उसमें उसकी कोई सहमति नहीं थी । अपितु उसे कुछ पिलाया गया था जिससे दोपहर 1 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक उसे होश नहीं था ।

28. यद्यपि इस प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट आया है कि जो सीडीआर के विश्लेषण में पीडिता के फोन से रमेश के फोन पर कई बार बातचीत हुई, तो निश्चयात्मक तौर पर पीडिता उस समय रमेश को फोन पर अपने हालात के बारे में बताया होगा, परंतु इस बाबत् अभियुक्त के बयान मुलजिम में कोई अतिरिक्त कथन नहीं आये हैं और न ही इन सब घटना के स्पष्टीकरण के रूप में कोई बचाव पक्ष उभरकर आया है । अतः ऐसे में उसी दिन घटना की एफआईआर दर्ज होना किसी भी प्रकार से दूषित मन से कोई एफआईआर का दर्ज नहीं होना स्पष्ट है । पीडिता के साथ में जो बलात्संग हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में उसने अपने मुख्य कथनों में बखूबी बयान किये हैं और उसी दिन घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और जिस बाड़े में रमेश उसे छोड़ चला गया था, पुलिस ने भी उसे वहीं से दस्तयाब किया ।

29. इन तथ्यों की ताईद करने के लिए न्यायालय के समक्ष गवाह पी.ड. 04 मांगीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में पीडिता जो उसकी पुत्री है, उसका रात के नौ बजे फोन आना जाहिर किया है । फोन पर पीडिता के द्वारा यह जाहिर करना कि वह झाडियों में पड़ी है और जगह कौनसी है, तो यह ढूंढ़ते–ढूढ़ते होली चौक के पास बाड़े में गये, तो वहाँ पर पीडिता मिली । पीडिता ने उसे बताया था कि जब वह पानीपूरी खा रही थी, तब रमेश आया और उसे मकान में ले गया और फिर उसके साथ में खोटा काम किया । पुलिस ने इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी लिये थे । जिरह में इस गवाह ने स्पष्ट रूप से यह जाहिर किया कि उसके पास रात के 9–9:30 बजे फोन आया था, जिसमें पीडिता के द्वारा यह कथन किया गया था कि वह बबूल की झाडियों में पड़ी है और उसे लेने आ जाओ और उसके पश्चात् उसके द्वारा पुलिस को इत्तिला देने पर पुलिस को साथ लेकर वहाँ पर जाता है और तत्पश्चात् पीडिता को साथ लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाना कहता है और पीडिता द्वारा घटना की सारी बातें उसी समय बताई थी। जहाँ तक घटनास्थल से अभियुक्त के द्वारा पीडिता को होली चौक से किसी कमरे/बाड़े में ले जाने के तथ्य हैं, उस परिप्रेक्ष्य में पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज जो इकट्ठे किये थे, उसके संबंध में गवाह पी.ड. 01 जगाराम और पी.ड. 02 दिनेश कुमार ने सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्त रमेश की पहचान होना बताया है और अभियुक्त रमेश की पहचान स्वयं पीडिता ने उनके समक्ष करना बताया है । सीसीटीवी उपलब्ध करवाने वाला व्यक्ति पी.ड. 03 आलमचंद ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सीसीटीवी फुटेज के संपूर्ण हालात पुलिस को उपलब्ध कराना कहा है और उस संबंध में उसने अपना धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र पेश किया, जो सहवन से 63 सी अंकित किया हुआ है ।

30. घटना घटित होने के संबंध में घटना से पूर्व पीडिता जब घर से गई, उस घटना के पूर्व का बखान गवाह पी.ड. 06 जितेन्द्र करता है, जो कि पीडिता के पिता का भाणजा लगता है और वह उसके घर पर था । उसी समय पीडिता घर से यह कहकर निकली थी कि वह 10 मिनट में पानीपूरी खाकर आ रही है । फिर जब डेढ़ घंटे तक वह नहीं आई और जब उसकी मामी घर पर आई और पीडिता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह पानीपूरी खाने का कहकर गई है । फिर उन्होंने अपने मामा यानी पीडिता के पिता को सूचना दी और ढूंढ़ने पर नहीं मिली । फिर रात को पीडिता का उसके मामा मांगीलाल के पास फोन आया और वहाँ पर उन्होंने तलाशी की तो हनुमानजी के मंदिर के पास बबूल की झाडियों में पीडिता मिली

और पीडिता के साथ रमेश के द्वारा जो खोटा काम किया गया था, उस जगह का नक्शा मौका देखा था और वे लोग पीडिता को अस्पताल लेकर भी गये । यह गवाह कोई चक्षुदर्शी नहीं है, परंतु घटना घटित होने से पूर्व पीडिता उसे पानीपूरी खाने के लिए जो कहकर गई थी, वह घटना की पूर्व के तथ्य हैं और घटना घटित होने के बाद जिस बाड़े से पीडिता को पुलिस द्वारा लाया गया था, उस स्थान को भी उसने ताईद किया है । यद्यपि जिरह में यह गवाह यह अवश्य कहता है कि वहाँ पर रात होने की वजह से उसे ऐसे कोई आलामात नजर नहीं आये, जिससे कि यह दर्शित नहीं होता है कि वहाँ पर कोई घटना घटित हुई हो, ऐसे निशान रहे हो ।

31. पुलिस को सूचना प्राप्त होने के बाद की कार्यवाही के संबंध में गवाह पी.ड. 08 रामाराम के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह बयान दिये गये कि दिनांक 30.09.2024 को पीडिता के मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रिजर्व किये गये सैंपल और अभियुक्त रमेश कुमार के प्रिजर्व किये गये सैंपल को उसके द्वारा एफएसएल में जमा करवाने लेकर गया था । उन सैंपल को गवाह पी.ड 09 कानाराम के द्वारा, जो कि थाने पर मालखाना प्रभारी था, उसके द्वारा जमा मालखाना किया गया था और उसने दिनांक 30.09.2024 को उक्त प्रकरण में माल परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाने हेतु गवाह पी.ड. 08 रामाराम को सुपुर्द किये थे ।

32. अनुसंधान अधिकारी सुखाराम न्यायालय के समक्ष पी.ड. 15 के रूप में परीक्षित हुए, जिन्होंने दिनाक 25.09.2024 को जब पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त होने के पश्चात् प्रथम घटनास्थल व द्वितीय घटनास्थल का निरीक्षण नक्शा मौका मुर्तिब किया गया । तत्पश्चात् गवाहान के बयान दर्ज किये गये और न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, बाड़मेर के समक्ष पीडिता के बयान भी करवाए गये । मेडिकल ऑफिसर द्वारा डायरेक्टर एफएसएल जोधपुर को लिया गया फॉरवर्डिंग लेटर और एफटीए कार्ड पर ब्लड लेने व सैंपल लेने की कार्यवाहियों को शामिल पत्रावली किया गया । पीडिता का जाति प्रमाण–पत्र लिया गया और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को भी देखा गया, जिस मकान मालिक से सीसीटीवी फुटेज लिया गया, उससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की प्रमाणिकता के संबंध में प्रमाण–पत्र लिया गया । पीडिता का मेडिकल करवाया और तत्पश्चात् अभियुक्त रमेश कुमार के विरुद्ध उन्होंने

अपराध को प्रमाणित मान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 26.09.2024 को अभियुक्त की निशांदेही से जिस स्थान पर संभोग किया गया था और उसके बाद पीडिता को एक सुने बाड़े में बैठाया गया था, उन दोनों स्थानों की तस्दीक की और अभियुक्त का पुरुषत्व बाबत् मेडिकल भी करवाया गया और तत्पश्चात् मोबाईल नंबरों की सीडीआर भी पत्रावली में शामिल की गई और उस दौरान यह भी पाया गया कि पीडिता व अभियुक्त रमेश कुमार का मोबाईल पर आपस में संपर्क भी था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में बलात्कार से संबंधित पीडिता और अभियुक्त के जो सैंपल लिये गये थे, उनके मिलान हेतु सैंपल को एफएसएल भी भिजवाया गया। न्यायालय के समक्ष एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी. 34 प्रस्तुत हुई, जिसका भी अवलोकन किया गया।

33. प्रकरण में विशेषज्ञ गवाह पी.ड. 11 अर्पिता चौहान, जिसने कि पीडिता का बलात्संग के संबंध में परीक्षण किया था। उसकी समस्त जाँच करने के पश्चात् सैंपल लिये गये और डीएनए बाबत् एफएसएल सैंपल डायरेक्टर एफएसएल, जोधपुर को भी भेजे गये और एफएसएल की रिपोर्ट पर ही अपनी राय आधारित होना जाहिर किया। इस गवाह ने इस तथ्य को सही होना स्वीकार किया कि पीडिता के प्राईवेट पार्ट्स पर कोई चोट, ब्लीडिंग आदि के निशान नहीं थे।

34. इसी प्रकार गवाह पी.ड. 12 डॉ. लोकेश गीगल ने पीडिता के शरीर पर आई चोटों का निरीक्षण कर और फिर एक जाहिरा चोट बाएं हाथ पर बताई गई और सिर में दर्द होना बताया, इसके अलावा कोई चोट नहीं होना बताया। गवाह पी.ड. 14 डॉ. मुकेश यादव ने अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण किया था और पुरुषत्व संबंधी मेडिकल रिपोर्ट में यह पाया कि अभियुक्त संभोग करने में सक्षम था।

35. अतः न्यायालय के समक्ष परीक्षित गवाहान के कथनों से यह पूर्ण रूप से दर्शित होता है कि घटना से पूर्व पीडिता 1 बजे से लेकर अपने घर पर अपने बुआ के लड़के जीतू को यह कहकर रवाना होती है कि वह पानीपूरी खाने के लिए जा रही है। तत्पश्चात् वह काफी देर तक लौटती नहीं है, तो पीडिता की माँ ने जीतू से सवाल किये तो उसने बताया कि पीडिता पानीपूरी खाने का कहकर गई है और तत्पश्चात् लौटी नहीं। तत्पश्चात् पीडिता के पिता को सूचना दी जाती है और वे लोग तलाश करते हैं और करीबन रात के नौ के आसपास पीडिता स्वयं का फोन उसके पिता के फोन पर आता है और वह जाहिर करती है कि वह झाडियों में

पड़ी है । तत्पश्चात् पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर जाती है और झाडियों के बीच बने एक बाड़े में से पीडिता को दस्तयाब किया जाता है । तत्पश्चात् उसी दिन पीडिता और उसके पिता थाने जाते हैं और अपने साथ हुई घटना बाबत् पर्चा बयान पीडिता देती है और तत्पश्चात् एफआईआर दर्ज की जाती है । उस एफआईआर में किसी भी प्रकार को कोई डिले नहीं था और पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जाता है और दो जगह घटना घटित होना जाहिर किया जाता है । एक जहाँ पर पीडिता के साथ संभोग किया गया और दूसरा एक दीवार के पास उसे धक्का देकर छोड़ दिया गया । अतः दूसरे स्थान पर ऐसे कोई आलामात नजर नहीं आये, जिससे कि यह दर्शित होता कि वहाँ पर संभोग हुआ हो, पूर्ण रूप से न्यायोचित प्रतीत होता है और प्रथम स्थान के बारे में यद्यपि अभियोजन पक्ष ने कोई आलामात दर्शित नहीं किये हैं, परंतु पीडिता की सूचना के आधार पर उसे रात्रि के नौ बजे घटना के दिन यह पाया जाता है वह एक बाड़े में पड़ी हुई थी ।

36. पीडिता स्वयं के यह बयान कि उसे कुछ पिला दिया गया था और उस कारण से दोपहर 1–1:30 बजे से रात्रि के 9–9:30 बजे तक वह सूचना नहीं दे पाई और उस दौरान उसके साथ अभियुक्त ने खोटा काम किया । जहाँ पर कि बलात्संग की बात है, तो इस संबंध में पीडिता के द्वारा अपने स्वयं के कथनों में उसके साथ खोटा काम किया जाना जाहिर किया गया है और इसके प्रतिकूल अभियुक्त के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य जो कि इन तथ्यों पर विश्वास ना करने का कोई कारण हो, प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

37. बलात्संग के संबंध में विशेषज्ञ गवाहान के द्वारा जो सैंपल इकट्ठे किये गये और तत्पश्चात् सुरक्षित हालात में थाने के मालखाना में जमा करना और मालखाना से एफएसएल के रवाना करना और मेडिकल यूनिट के द्वारा उनको उचित माध्यम से एफएसएल में पहुँचाना, जिसके संबंध में कोई भी प्रतिकूल साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं आई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौके से जब्त किये गये आलामात सुरक्षित हालात में पूर्ण रूप से एफएसएल में भेजे गये थे । एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी. 34 में स्पष्ट तौर पर अंकित किया गया है किः–

1. The alleles of male DNA profile obtained from exhibit no. 13 (Blood sample of accused on FTA card) are matching with the

amplified alleles of DNA profiles obtained from exhibit no. 1 (Underwear of victim) and 7 (Underwear of accused).

2. The alleles of female DNA profile obtained from exhibit no. 12 (Blood sample of victim on FTA card) are matching with the amplified alleles of DNA profiles obtained from exhibit no. 1 (Underwear of victim) and 7 (Underwear of accused).

3. Since, semen could not be detected on exhibit no. 2 (Vaginal smear of victim), 3 (Vaginal swab of victim), 4 (Pubic hair of victim), 8 (Pubic hair of accused) and 9 (Glans penis swab of accused); hence, no opinion could be drawn regarding DNA examination on these exhibits.

जिससे साफ जाहिर होता है कि पीडिता के अण्डरवीयर पर और अभियुक्त के अण्डरवीयर पर दोनों पर ही पीडिता और अभियुक्त के alleles of male & alleles of female DNA वही पाये गये है, जो कि पीडिता और अभियुक्त के थे, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि संभोग हुआ है । चूँकि यह संभोग पीडिता की इच्छा के बिना और किसी नशीले पदार्थ को पिलाने के बाद किया गया है, जिससे स्पष्ट रूप से यह जाहिर है कि इसमें पीडिता को कोई सहमति नहीं थी और सहमति के संबंध में इस बात से भी प्रबल बल मिलता है कि पीडिता ने उसी दिन एफआईआर दर्ज करवाई थी । अतः अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत आरोपित अपराध अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित कर पाने में बखूबी सफल रहा है ।

38. चूँकि अभियुक्त और पीडिता के मध्य आपस में पूर्व से जानकारी थी और एक–दूसरे से बातचीत भी करते थे और इस जानकारी के पश्चात् अभियुक्त द्वारा 'X' के साथ बलात्संग का अपराध कारित किया जो कि दस वर्ष या उससे अधिक अवधि से दण्डित अपराध है । अतः अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 3(2)(v) एएसी/एसटी एक्ट के तहत अपराध घटित होना अभियोजन पक्ष बखूबी साबित कर पाने में सफल रहा है ।

39. जहाँ तक कि अभियुक्त द्वारा अपहरण करने का प्रश्न है, तो वहाँ पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा इकट्ठे किये गये सीसीटीवी फुटेज से और अभियोजन पक्ष ने अपने बयानों में कहीं पर भी यह उल्लेखित नहीं किया कि अभियुक्त ने किस रीति से पीडिता को अपहरण करके उसे ले गया और सीसीटीवी फुटेज से भी इस प्रकार का कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है, जो कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य बयानों में जाहिर किया गया हो, जिससे अपहरण का अपराध घटित होता दिखाई देता हो एवं सदोष परिरोध के अपराध के कोई घटक अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं किये गये हैं ।

40. इस प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि पीडिता स्वयं अपने घर से बाहर जाती है और होली चौक के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वह वहाँ से निकल जाती है । उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किसी भी गवाह ने यह जाहिर नहीं किया है कि अभियुक्त ने जोर–जबरदस्ती कर उसका अपहरण किया गया हो या उसके साथ कोई मारपीट की गई हो । अतः अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 140(3), 127(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है ।

41. अपराध अंतर्गत धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के संबंध में मजरूबा के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 21 में मात्र एक जाहिर चोट दर्शायी गई है, जो कि कोहनी पर है, परंतु पीडिता द्वारा यह जाहिर नहीं किया गया है कि कौनसे स्थान पर धक्का–मुक्की कर मारपीट की गई, जिसमें कोहनी की चोट आई हो । चूँकि वह सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक होली चौक पर घटना घटित होना कहती है, परंतु इस प्रकार के कोई आलामात अनुसंधान अधिकारी द्वारा जाहिर नहीं किये गये कि मौके पर कोई मारपीट की गई हो । ऐसे में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है ।

42. जहाँ तक अपराध अंतर्गत धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट का अपराध अभियुक्त के विरुद्ध पूर्णतया साबित है और सावर्जनिक रूप से या एकांत रूप से लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करते हुए अभियुक्त के द्वारा कोई कार्य किया गया हो, यह कृत्य अभियोजन पक्ष साबित कर पाने में असफल रहा है । मारपीट संबंधी भी कोई तथ्य संदेह से परे साबित नहीं हो पाने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 3(1)(w)(ii) व 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट का अपराध साबित नहीं होता है ।

43. अंततः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट का अपराध साबित कर पाने में सफल रहा है ।

44. इस प्रकरण के संबंध में अनेक माननीय उच्च न्यायालयों में प्रतिपादित सिद्धांत, जिसमें कि बलात्संग के कई मामलों में जिसमें कि अवयस्क पीडित के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि बलात्संग के मामलों में अधिकतर महिला वर्ग की गोपनीयता उसके स्वयं के बयानों से अविश्वास का कोई कारण न होना और यदि उसके कथनों को मेडिकल साक्ष्य से संपुष्टि यदि प्राप्त होती है, तो उस पर अविश्वास किये जाने का कोई भी कारण नहीं होता है । अनेक माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है कि चाहे पीडिता अभियुक्त के साथ में काफी समय से शारीरिक संबंध रखती भी हो, तो भी वक्त घटना यदि उसकी सहमति नहीं है, तो वह बलात्संग की परिभाषा में आयेगा । इस संबंध में Bhupendra Sharma Vs State of HP 2004 SCC(CRI31), State of Rajasthan Vs Omprakash (2002) 5SCC 745 एवं महत्वपूर्ण प्रकरण Leelu Vs State of Hariyana जिसमें कि अनेक दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे, उनसे रोशनी प्राप्त कर उपरोक्त विवेचन करने के पश्चात् इस प्रकरण में जहाँ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने में कोई देरी नहीं है । इस प्रकरण के संबंध में जहाँ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में कोई देरी नहीं की गई है और जहाँ पर कि सोच–विचार का कोई विषय ना रहा हौ, ऐसे में यदि मौके से कोई आलामात अनुसंधान अधिकारी के द्वारा इकट्ठे नहीं किये गये है, तब भी इस प्रकार के प्रकरणों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और जहाँ तक कि कोई विशेष तथ्य जो अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष जाहिर करने थे, जो कि इस मामले पर कोई संदेह उत्पन करते हो, प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । यद्यपि यह तथ्य कि पीडिता और अभियुक्त दोनों आपस में बातचीत करते थे और उनके मध्य संभोग दोनों ही सहमति से ही हुआ हो, परंतु जहाँ पर कि किसी व्यक्ति के द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन करवाकर उसके साथ संभोग किया गया हो, तो वहाँ पर इच्छा से कार्य करना जाहिर नहीं होता है, अपितु इच्छा के विरुद्ध कार्य करने की श्रेणी में आता है ।

45. इस प्रकार न्यायालय के समक्ष आई उपर्युक्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 3(2)(v)

एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 140(3), 127(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 3(1)(w)(ii), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

–:: आदेश ::–

46. अतः अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र मदनलाल, उम्र 23 साल, निवासी धोरीमन्ना, पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला बालोतरा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध किया जाता है तथा आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 140(3), 127(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 3(1)(w)(ii), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त के न्यायालय के समक्ष नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण में जब्तसुदा माल, यदि कोई हो तो उसे बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे ।

(नीरज भामू)
विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) बालोतरा ।

दण्ड के बिन्दु पर सुना गयाः–

47. दौराने बहस विशिष्ठ लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि है कि अभियुक्त पर बलात्संग जैसा जघन्य अपराध संदेह से परे प्रमाणित पाया गया है, अतः अभियुक्त कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया, जिसके विरोध में अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त नौजवान है तथा लंबी अवधि न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत कर चुका है । अतः नरम रुख अपनाते हुए अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया ।

48. उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त पर पीडिता को उसकी इच्छा के बिना उसके साथ बलात्संग करने का अपराध बखूबी प्रमाणित पाया गया है, जो कि गंभीर अपराध है । अतः अभियुक्त के उक्त कृत्य को देखते हुए उसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई नरम रुख अपनाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

–:: दण्डादेश ::–

49. परिणामतः अभियुक्त रमेश कुमार के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में प्रमाणित पाया गया है, परंतु यह मामला विरल से विरलतम प्रकृति का नहीं है, इसलिए अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता हैः–

(क) अपराध अंतर्गत धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 : आजीवन कारावास तथा 5,000/– रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास ।

(ख) अपराध अंतर्गत धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट : आजीवन कारावास तथा 5,000/– रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास ।

50. अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि उपरोक्त सजा में समायोजित (सेट ऑफ) की जावे । तद्नुसार अभियुक्त का सजा वारण्ट मुर्तिब किया जावे । अभियुक्त को निर्णय व दण्डादेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे ।

51. निर्णय, आदेश व दण्डादेश आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित सुनाया गया ।

(नीरज भामू)
विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) बालोतरा ।